



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258263
CG-DL-E-26102024-258263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 4301]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4677(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1289 तारीख 12/03/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में NH320B के कि.मी. 53.6 से कि.मी. 71.323 (रामगढ़) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17.03.2024" को "द टाइम्स आफ़ इण्डिया" और "रांची एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में NH320B के कि.मी. 53.6 से कि.मी.71.323 (रामगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: रामगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दुलमी					
गांव का नाम: बेयांग (167)					
1	780	निजी	परती	0.0080939	भूदेव महतो पिता स्व० शिवचरण महतो 780
2	781	निजी	परती	0.0040469	गणेश महतो पिता - करीनाथ महतो 781
3	782	निजी	परती	0.0080939	1. ब्रजेश कुमार सिंहा 2. सुधीर महतो 3. श्रवण कुमार सिन्हा पिता- स्व० रामसिंह महतो 782
तालुक का नाम: गोला					
गांव का नाम: डभातु (25)					
4	257	निजी	कृषि	0.14569	1. श्रीमति पार्वती देवी, पति- चन्दर महतो

					2. राजकेश्वर महतो, पिता-तुलसी महतो, 3. दिगम्बर प्रसाद, पिता-सुकर महतो 257
गांव का नाम: कमती (29)					
5	110	निजी	कृषि	0.5665718	1. तारकेश्वर महतो, पिता- स्व० महावीर महतो 2. संजय कुमार वो दामोदर कुमार, पिता- भीम महतो उर्फ भृगु महतो 3. श्रीमति पद्म देवी, पति-श्री भागु महतो 4. मो० कुन्ती देवी, पति-स्व० महावीर महतो 5. रामधनी महतो, पिता- श्री भानू महतो, 6. कन्हारि महतो, पिता- बैजनाथ महतो 110
Total				0.7324965	

[फा. सं. 11015/5/PD/DHN/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4677(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1289 Dated:12/03/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH320B in the stretch of land from Km. 53.6 to Km. 71.323 (Ramgarh) in the district of RAMGARH in the state of JHARKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Ranchi Express” both dated 17/03/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH320B in the stretch of land from Km. 53.6 to Km. 71.323 (Ramgarh) in the district of RAMGARH in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: RAMGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dulmi					
Village: Beyang (167)					
1	780	Private	Parti	0.0080939	Bhudev Mahto S/o- Late Shivcharan Mahto 780
2	781	Private	Parti	0.0040469	Ganesh Mahto S/o- Karinath Mahto 781
3	782	Private	Parti	0.0080939	1. Brajesh Kumar Sinha 2. Sudhir Mahto 3. Shrawan Kumar Sinha S/o- Late Ramsingh Mahto 782
Taluk: Gola					
Village: Dabhatu (25)					
4	257	Private	Agriculture	0.14569	1. Smt Parwati Devi W/O- Chander Mahto 2. Rajkeswar Mahto, S/o-Tulsi Mahto, 3. Digamber Prasad S/o-Sukar Mahto 257
Village: Kamti (29)					
5	110	Private	Agriculture	0.5665718	1. Tarkeswar Mahto, S/o- Late Mahabir Mahto 2. Sanjay Kumar & Damodor Kumar, S/o- Bhim Mahto Alias Bhrihu Mahto 3. Smt Padum Devi, W/O-Sri Bhagu Mahto 4. Mo Kunti Devi, W/O-Late Mahabir Mahto 5. Ramdhani Mahto, S/O- Sri Bhanu

					Mahto, 6. Kanhai Mahto, S/O- Baidyanath Mahto 110
Total				0.7324965	

[F. No. 11015/5/PD/DHN/3D]
ABHAY JAIN, Director